झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: **आदेश** ::

आदेश सं0–5/आरोप–1–141/2014 का०–8292/राँची, दिनांक 05 नवम्बर, 2018

श्री राम नारायण राम, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक–563/03) को देवघर के चर्चित भूमि घोटाले में सी0बी0आई0 के विशेष कोर्ट में दिनांक 15.01.2018 को सरेंडर करने के उपरांत उन्हें कोर्ट के आदेश से न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0–151(HRMS), दिनांक 16.02.2018 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम–9(2)(क) के तहत् न्यायिक हिरासत में लिये जाने की तिथि दिनांक 15.01.2018 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया गया। साथ ही, न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के पश्चात् इन्हें कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची में योगदान देने का निदेश दिया गया।

2. उक्त के आलोक में श्री राम द्वारा दिनांक 22.03.2018 को अपना योगदान समर्पित करते हुए निलंबन से मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

3. अतः समीक्षोपरांत, श्री राम को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम–9(1)(क) एवं (ग) के तहत् योगदान देने की तिथि दिनांक 22.03.2018 के प्रभाव से पुनः निलंबित किया जाता है।

4. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची निर्धारित किया जाता है।

5. निलंबन अवधि में इन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम–10 के तहत् जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

05/11/18

(अशोक कुमार खेतान)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 5/आरोप–1–141/2014 का०–8292/राँची, दिनांक 05 नवम्बर, 2018

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड का कोषांग/विभागीय प्रधान सचिव कोषांग/प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, झारखण्ड/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार

विभाग, झारखण्ड/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/उपायुक्त, देवघर/अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0 कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची/विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–3 एवं 4/श्री अजय कुमार झा, विभागीय अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/विभागीय अवर सचिव, प्रशाखा–6/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5/श्री राम नारायण राम, झा0प्र0से0, निलंबित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/11/18

सरकार के संयुक्त सचिव।